संख्या-85/2017/आर-1027/26-3-2017-4(358)/2007टी.सी.4

प्रेषक,

कामता प्रसाद
अनुसचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक
समाज कल्याण
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 25 मई 2017

विषयः- रिट याचिका संख्या-50856/2016 आदित्य रत्नम बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक-24.10.2016 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-253/स.क./शिक्षा-अ/2017-18, दिनांक-20.04.2017 द्वारा उपलब्ध करायी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त उक्त याचिका में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-24.10.2016 के अनुपालन में याची छात्र श्री आदित्य रत्नम की वर्ष 2014-15 की दशमोत्तर अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि रूपया-79,000/- (रूपया उन्नयासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 की अनुदान संख्या-83 के योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि जिसकी स्वीकृति पूर्व में निर्गत कर आपके निवर्तन पर रखी गयी है, से व्यय/भुगतान की अनुमति प्रदान की जाती है।

2- मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक-24.10.2016 के अनुपालन में याची छात्र-छात्रों का कोई प्रत्यावेदन यदि निस्तारित किया जाना हो तो उसे निदेशालय स्तर से स्वमुखरित आदेश से निस्तारित कराने का कष्ट करें।

उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक-02.01.2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

कामता प्रसाद
अनुसचिव

पृ.संख्या-85/2017/आर-1027(1)/26-3-2017तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, वाराणसी।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. जिला समाज कल्याण अधिकारी, वाराणसी।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
6. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से

कामता प्रसाद
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in